सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 315 राँची, बुधवार, 10 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

10 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-126/2016-1694 (HRMS)-- श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज के विरूद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के ज्ञापांक-2410, दिनांक-20.09.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध मनरेगान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी कुल-14 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8840, दिनांक-13.10.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग कर गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-16, दिनांक-09.01.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-864, दिनांक-25.01.2017 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गयी, जिसके आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2071/जि०ग्रा०, दिनांक-08.06.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-10157, दिनांक-25.09.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-116, दिनांक 04.06.2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि यदि कार्य वास्तविक रूप से मजदूरों द्वारा कराया गया होता तो विभिन्न एफ०टी०ओ० से निर्गत राशि के भुगतान पर रोक लगाये जाने के बाद निश्चत रूप से किसी न किसी मजदूर द्वारा मजदूरी भुगतान लंबित रहने की शिकायत की जाती। योजना के स्थल की उपयुक्तता की जाँच न करने के लिए श्री कुमार दोषी हैं। दो योजनाएँ कुंवर हेम्ब्रम की जमीन में तालाब निर्माण एवं चरण टुडू के जमीन में पोखर निर्माण के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा एफ०टी०ओ०निर्गत किया गया है, उन योजनाओं में भी निरीक्षण की तिथि तक किये गये कार्य से अधिक राशि का एफ०टी०ओ० इनके द्वारा निर्गत किया गया है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज द्वारा योजना अभिलेख की माँग किये जाने के बावजूद इनके द्वारा योजना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है। इनके द्वारा अपने पर्यवेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरांत उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित का प्रस्ताव गठित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-7626, दिनांक 12.10.2018 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-शून्य, दिनांक 29.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया । श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा में पूछे गये बिन्दुओं पर उनका उत्तर एवं विभागीय समीक्षा निम्न रूपेण है-

बिन्दु-1- यदि कार्य वास्तविक रूप से मजदूरों द्वारा कराया गया होता, तो विभिन्न एफ०टी०ओ० से निर्गत राशि के भुगतान पर रोक लगाये जाने के बाद निश्चित रूप से किसी मजदूर द्वारा मजदूरी भुगतान लंबित रहने की शिकायत की जाती।

श्री कुमार का उत्तर- यह आरोप उनके विरूद्ध लगाया गया कुल 14 आरोपों में से किसी भी आरोप में वर्णित नहीं है। प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश जिसका ज्ञापांक-654, दिनांक 25.10.2016 से स्पष्ट है कि मनरेगा आयुक्त के द्वारा विशुनपुर पंचायत में जाँच की गई विभिन्न मनरेगा योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा गबन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अगर किसी मजदूर द्वारा मजदूरी भुगतान लंबित रहने की शिकायत की जाती तो निश्चित रूप से उपायुक्त, साहेबगंज अपने मंतव्य दिनांक 19.05.2018 में इसका जिक्र करते।

समीक्षा- यदि विभागीय समीक्षा के दौरान कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो विभागीय स्तर से ही पृच्छा की जा सकती है। प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश जिसका ज्ञापांक-654, दिनांक 25.10.2016 में कही अंकित नहीं है कि मनरेगा आयुक्त के द्वारा विशुनपुर पंचायत में जाँच की गई विभिन्न योजनाओं में कोई अनियमितता अथवा गबन प्रमाणित नहीं हुआ।

अतः आरोपी पदाधिकारी का कथन अमान्य प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त श्री कुमार के विरूद्ध फर्जी मस्टर रॉल बनाने एवं उसमें वैसे मजदूरों का नाम शामिल करने का आरोप लगाया गया है, जिन मजदूरों द्वारा वास्तविक रूप से कार्य ही नहीं किया गया था। इसलिए किसी मजदूर द्वारा मजदूरी भुगतान लंबित रहने की शिकायत नहीं की गई।

बिन्दु-2- योजना की स्थल की उपयुक्तता की जाँच न करने के लिए आप दोषी हैं। श्री कुमार का उत्तर- योजनाओं का चयन योजना बनाओ अभियान के दौरान प्रशिक्षित पंचायत प्लानिंग टीम के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से चयन किया गया है तथा पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक कर प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन कर स्वीकृति हेतु प्रखण्ड कार्यालय भेजा गया है, तत्पश्चात् योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

समीक्षा- यह सही है कि योजनाओं का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ है, परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का दायित्व है कि योजनाओं की उपयोगिता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए स्थलीय सत्यापन कर पूरी तरह संतुष्ट होने के पश्चात् ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाय। जाँच की गई कई योजनाओं की दूरी प्रखण्ड मुख्यालय से सटे मुख्य सड़क से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी, फिर भी जाँच में योजना स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः श्री कुमार का कथन स्वीकार्य नहीं है।

बिन्दु-3- दो योजनाएँ कुंवर हेम्ब्रम की जमीन में तालाब निर्माण एवं चरण टुडू की जमीन में तालाब निर्माण के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा एफ०टी०ओ० निर्गत किया गया है। उन योजनाओं में भी निरीक्षण की तिथि तक किये गये कार्य से अधिक राशि का एफ०टी०ओ० आपके द्वारा निर्गत किया गया है।

श्री कुमार का उत्तर- मेरे द्वारा निर्गत किया गया दो एफ०टी०ओ० मनरेगा आयुक्त के पत्रांक-850, दिनांक 25.04.2015 के आलोक में निर्गत किया गया है। यह एफ०टी०ओ० कनीय अभियंता के द्वारा प्रस्तुत मापी एवं पंचायत सेवक तथा मुखिया के द्वारा पारित मस्टर रॉल के आलोक में किया गया है।

समीक्षा- मनरेगा आयुक्त के पत्रांक-850, दिनांक 25.04.2015 में कही भी अंकित नहीं है कि किये गये कार्य से अधिक राशि का एफ०टी०ओ० निर्गत कर दिया जाय। ज्ञातव्य है कि दोनों योजनाएँ प्रखण्ड मुख्यालय से सटे मुख्य सड़क से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी एवं योजनाओं के निरीक्षण की तिथि तक कुंवर हेम्ब्रम की जमीन में तालाब निर्माण कार्य, (प्राक्कलित राशि 4.26 लाख रूपये) में कृत कार्य की राशि मात्र 0.19 लाख रूपये के विरूद्ध 2.08 लाख रूपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार चरण टुडू के जमीन में तालाब निर्माण (प्राक्कलित राशि 4.26 लाख रूपये) में कृत कार्य की राशि 0.25 लाख रूपये के विरूद्ध 2.06 लाख रूपये का भुगतान आरोपी पदाधिकारी द्वारा किया गया। सिर्फ कनीय अभियंता के द्वारा दर्ज की गई गलत मापी के आधार पर योजनाओं में कृत कार्य से अधिक राशि के भुगतान से आरोपी अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते, अतः आरोपी पदाधिकारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

बिन्दु-4- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज द्वारा योजना अभिलेख की माँग किये जाने के बावजूद आपके द्वारा योजना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है।

श्री कुमार का उत्तर- उपायुक्त, साहेबगंज के ज्ञापांक-1261/गो०, दिनांक 24.12.2014 द्वारा उप विकास आयुक्त, साहेबगंज पतना प्रखण्ड के वरीय प्रभार में थे एवं मनरेगा से संबंधित जितनी भी शिकायतें प्राप्त होती थी, उनकी जाँच उप विकास आयुक्त द्वारा की जाती है। उप विकास आयुक्त के द्वारा अभिलेख की माँग करने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता था एवं उनके द्वारा जाँच की जाती थी।

समीक्षा- श्री कुमार द्वारा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज को योजना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में कोई उत्तर समर्पित नहीं किया गया है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के पत्रांक-2559/जि०ग्रा०, दिनांक 17.12.2015, पत्रांक-481, दिनांक 23.02.2016 एवं पत्रांक-482, दिनांक 23.02.2016 द्वारा वांछित अभिलेख श्री कुमार द्वारा किस परिस्थिति में उपलब्ध नहीं करवाया गया, इसका कोई उत्तर उनके द्वारा अपनी कारण पृच्छा में नहीं दिया गया है।

बिन्दु-5- आपके द्वारा अपने पर्यवेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

श्री कुमार का उत्तर- यह आरोप संभावना पर आधारित है, जिसके संबंध में कोई तथ्य नहीं है। उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य दिनांक 19.05.2018 में स्पष्ट किया गया है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान स्वीकारात्मक है तथा मेरे विरूद्ध लगाये गये कुल 14 आरोपों में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

समीक्षा- उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2071/जि०ग्रा०, दिनांक 08.06.2017 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि सरकारी राशि का गबन दुर्विनियोग करके सरकारी दिशानिर्देश का उल्लंघन करने, जनोपयोगी कार्य नहीं कराने, मस्टर रॉल में बिना कार्य कराये गरीब आदिवासी मजदूरों को धोखा देकर गलत तरीके से एफ०टी०ओ० जेनरेट कर राशि का गबन करने, गरीब आदिवासी मजदूरों को बरगलाकर उनके नाम से सरकारी राशि की निकासी कर उस राशि को हड़पने तथा संबंधित योजनाओं का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, जाँच कार्य में उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान नहीं करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने जैसे कुत्सित कार्य के लिए श्री कुमार पूर्णरूपेण दोषी हैं।

अतः श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MUKESH KUMAR 110021165719	श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 315 -- 50